न्यायालयः—न्यायाधीश, डेजिग्नेटेड कोर्ट, अजमेर

(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों के विचारण हेतु राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.2(12)न्याय/85, जयपुर दिनांक 28.02.04 के तहत सशक्त)

पीठासीन अधिकारी	::	विक्रान्त गुप्ता, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सेशन प्रकरण संख्या	::	26/2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या		130/2019
सी.आई.एस. नम्बर	::	26/2023
राजस्थान राज्य	बनाम	बालाराम

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 91 सीआरपीसी/ 94 बीएनएसएस

उपस्थितः—

1— श्री डायमण्ड सिंह, लोक अभियोजक राज्य की ओर से।
2— श्री पी.एस.सोनी, अधिवक्ता—अभियुक्त बालाराम की ओर से।

...

आदेश दिनांक : 25.07.2025

1— प्रार्थी/अभियुक्त बालाराम की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 91 सीआरपीसी/ 94 बीएनएसएस आज दिनांक को पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है।

2— विद्वान अधिवक्ता श्री पी. एस. सोनी अभियुक्त बालाराम की ओर से दौराने बहस यह निवेदन किया है कि अभियोजन स्वीकृती के बिंदू संख्या 03 पर अंकित है कि '' पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर को पत्रांक भ्रनिब्यूरो/पुअ/अज/2020/997—99 दिनांक 23.10.2020 के क्रम में मूल अभियोजन स्वीकृति आदेश अवलोकनार्थ प्रेषित है। '' उनका यह भी निवेदन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय अतुल कुमार दीक्षित बनाम राजस्थान राज्य एस.बी. आपराधिक विविध याचिका नम्बर 1270/2012 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विधि का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि सीबीआई तथा अन्य जॉच एजेंसियों के मध्य हुए पत्राचार मामलें के महत्वपूर्ण अंग है जिसे अभियुक्त प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

3— उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति लोक अभियोजक को दिलवाई गई। विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किए बिना ही बहस सुने जाने का निवेदन किया उनका निवेदन है कि आज प्रकरण वास्ते साक्ष्य पी.डब्ल्यू 01 श्रीमती

श्वेता धनकड़, तत्कालिन पुलिस अधीक्षक, नागौर हेतु नियत है तथा उनकी वी.सी. के जरिए साक्ष्य लेखबद्ध की जा रही है और मुख्य परीक्षा होने के पश्चात यह प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। उनका तर्क है कि अभियोजन स्वीकृति प्राधिकारी तथा विभाग के मध्य हुए पत्राचार विभागीय अभिलेख है जिसे लिए जाने का अभियुक्त को कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

4— मैंने उभय पक्षों के तर्को को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत अतुल कुमार दीक्षित बनाम राजस्थान राज्य के प्रकरण में विधि का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है किः—

"The communications between the CBI and the sanctioning authority are of utmost importance to the present petitioner in effectively defending himself and disallowing of the application will certainly curtail his right of fair trial."

5— हस्तगत प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी. 1 है, जिसके अन्त में क्रम संख्या 03 पर यह अंकित है कि पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर को पत्रांक भ्रनिब्यूरो/पुअ/अज/2020/997—99 दिनांक 23.10.2020 के क्रम में मूल अभियोजन स्वीकृति आदेश अवलोकनार्थ प्रेषित है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हस्तगत प्रकरण के विषय पर चस्पा होते है। इस न्यायालय को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत और कोई आदेश देने का अधिकार प्राप्त नहीं है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश इस न्यायालय पर पूर्णतया बाध्यकारी है इसलिए प्रार्थी/अभियुक्त बालाराम की ओर से पेश किया गया प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 91 सीआरपीसी/ 94 बीएनएसएस स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र में चाही गई प्रतियों को विद्वान लोक अभियोजक आगामी एक माह में अभियुक्त को उपलब्ध करवाने हेतु आदेशित किया जाता है।

(विक्रान्त गुप्ता)
न्यायाधीश,
डेजिग्नेटेड कोर्ट, अजमेर।

06— आदेश आज दिनांक 25.07.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रान्त गुप्ता)
न्यायाधीश,
डेजिग्नेटेड कोर्ट, अजमेर।